



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

बी. एस. मिरगे /B. S. Mirge

जनसंपर्क अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी
Public Relation Officer & Public Information Officer

27/2022-23/2009/17

दिनांक : 26/05/2022

महादेय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.04.2022 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 05.05.2022 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
01	मैंने स्नातकोत्तर गांधी विचार विषय से तथा इसी विषय से पी-एच.डी. किया हूँ। बाद में स्नातकोत्तर, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान इत्यादि से करने के उपरान्त क्या मुझे पी-एच.डी. का लाभ सभी विषयों में या सिर्फ गांधी विचार विषय में मिलना चाहिए। प्रमाणित प्रतिवेदन दी जाए।	विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।
02	स्नातकोत्तर गांधी विचार विषय से एवं गांधी विचार विषय से ही पी-एच.डी. करने के बाद सहायक प्राध्यापक पद नियुक्ति के पात्र माना जायेगा।	

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(बी. एस. मिरगे)